ISSN:2395-1079

Available online at http://www.sajms.edwin.co.in

South Asia Journal of Multidisciplinary Studies SAJMS December 2018, Vol.4,No.11

दलित उत्पीड़न रू एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी

विभाग–समाजशास्त्र

सारांश

दलितों के प्रति होने वाले शोषण एवं अत्याचार का इतिहास बहुत पुराना हैं जोसंवैधानिक व्यवस्थाओं, संरक्षण के उपायों एवं कानूनों के माध्यम से समाप्त नहीं हो सकतेलेकिन सीमित अवश्य ही हुये हैं भारतीय समाज के ग्रामीण परिवेश में चूंकि यह व्यवहारप्रथाओं और परम्पराओं के समान है जिससे शीघ्र मुक्ति पाना संभव नहीं हैं जाति व्यवस्थाकी कठोरता जिसने वर्तमान समय में राजनीतिक रूप लेकर जातिगत घृणा को उत्पन्न करसामाजिक भाई–चारा एवं समरसता को समाप्त कर जाति प्रथा की कठोरता को बल दियाहैं ऐसी स्थिति में दालितों के प्रति होने वाले अत्याचारों के रूपों में परिवर्तन केसाथ–साथ यह प्रथा समयानुसार अपने आपको परिवर्तित कर नये–नये रूपों में इसव्यवस्था को बनाये हुए हैं जिसका सामाजिक रूप से समाप्त होना शीघ्र संभव नही हैं प्रस्तुत शोध प्रपत्र अप्रकाशित शोध प्रबंध दलितों पर अत्याचार प्रकृति एवं वैधानिकप्रावधान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले से सम्बधित हैं

शब्द कोश – दलित, दलितों की निर्योग्यताएँ, दलित उत्पीड़न के तरीके

प्रस्तावना –जातीय आधार पर छुआ छूत के आविर्भाव का इतिहास जटिल हैं इसकी उत्पत्ति के विषय में स्पष्टता एवं आम सहमति का नितान्त अभाव हैं जबकि कुछ इसकी उत्पत्ति देशमें कृषि प्रधान सभ्यता के विकास को मानते हैं तथा ऐसी सभ्यता में कृषीय जातियों के अभ्युदय का कारण यह था कि कृषि संक्रिया के लिये हाथ से काम करने वाले कर्मकारों तक सुनिश्चित पहुंच बनी रहें कुछ इसकी उत्पत्ति भारतीय सभ्यता की विस्तार वादी प्रावस्था से जोड़ते हैं, जिसके कारण आर्यो ने मूल निवासियों पर न केवल विजय प्राप्त कीअपितु इसी के परिणामस्वरूप दासता में भी जकड़ दियां ऋग्वेदिक युग के अन्तिम चरण में सामाजिक अवस्था में ये 'शूद्र' वही दास है जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था और इसका सम्बंध उनके उस समुदाय में जन्म से होता थां

दलितः–'दलित' एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है, जिसका प्रयोग संवैधानिक रूप से परिभाषित अनुसूचित जाति और जनजातियों के उस समूह से लिया जाता है जोतथाकथित रूप से उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ हैं यह शब्द कुछ सामाजिक श्रेणी/संवर्ग (कैटिगरी) की जातियों और वर्गो के व्यक्तियों को इंगित करने केलिये किया जाता हैं आजकल 'दलित' शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिये किया जारहा हैं जिन्हें अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक एवं आर्थिक वंचनाओं और असुविधाओं के लम्बे दौर से गुजरना पड़ाहैं[4]

दलित से यहाँ आशय – उन लोगों से है जो संविधान की धारा –341 (1) तथा (2)के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं देश में इनकी संख्या करीब चौदह(13.82) करोड़ हैं जो देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का छठाई भाग (16.48:) हैं संविधान मेंइनकी अलग पहचान, इनकी सामाजिक नियोग्यताओं एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इन्हें विशेष सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से निर्मित की गई हैं गरीबी, गन्दगी, बीमारी और अशिक्षा की शिकार ये जातियॉ समाज से बहिष्कृत और नागरिक अधिकारों से वंचित रही हैं आज भी दरिद्रता की रेखा के नीचे जीने वालेपरिवारों में अनुसूचित जातियों का अनुपात देश की सम्पूर्ण जनसंख्या में इनके अनुपात सेकहीं बहुत ज्यादा हैं इनके पास भूमि व जीविका के अन्य संसाधनों का स्वामित्व नहीं के बराबर हैं इनमें आधे से अधिक लोग भूमि हीन अथवा छोटे व सीमांत कृषक हैं जो आजीविका के लिए कृषि–मजदूरी पर निर्भर करते हैं अभी हाल तक इनमें अधिकांशतः अपने भू–स्वामी के यहॉ पूर्णतः या अंशतः बंधुआ मजदूर थें ये खाल निकालने और चमड़े का काम, नाली और गली की सफाई जैसे गन्दे और कम आमदनी वाले काम करते रहे हैं आज भी दलित अधिकांशतः अभावग्रस्त और दरिद्र हैं[5]

दलित समाज की प्रमुख निर्योग्यताएं निम्नांकित थीं

(अ) अध्ययन, अध्यापक व आत्मविकास के अवसरों से वंचितं
(ब) धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन, वाचन और श्रवण पर निषेध
(स) पूजा पाठ और मन्दिर में प्रवेश करने पर निषेधं
(द) उत्तम तथा स्वच्छ वस्त्र एवं आभूषण धारण करने की मनाहीं
(स) झोपड़ी व टप्पर के अतिरिक्त अच्छे मकान बनाने और उसमें रहने पर प्रतिबन्ध
(र) रथ व घोड़े की सवारी करने पर मनाहीं
(ल) गदहा, कुत्ता व सुअर के अतिरिक्त अन्य पशुओं को रखने का निषेधं
(ब) सवर्ण बस्तियों मे आवासीय मकान बनाने और रहने पर प्रतिबन्ध
(प) सार्वजनिक घाटों, तालाबों और कुओं से पानी लेने पर प्रतिबन्ध
(फ) सार्वजनिक धर्मशालाओं, भोजनालयों आदि में प्रवेश पर प्रतिबंध
(ब) सम्पत्ति रखने के अधिकार से वंचितं
(भ) जजमानी सेवा (पुरोहिती, बाल कटाई आदि) प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकारों से वंचितं
(म) मृत मवेशियों को फेंकने, खाल निकालने, बॉस की टोकरी, सूप और झाडू बनाने तथा चमड़े का काम, गली, कुची, मैला और गन्दगी की सफाई जैसे निम्न, गन्देऔर कम आमदनी वाले कार्यों के अतिरिक्त आजीविका के अन्य साधन अपनाने कीमनाहीं
(क) राजनैतिक व शासन सम्बन्धी अधिकारों पर प्रतिबन्ध
(ख) अस्त्र–शस्त्र धारण करने और युद्ध कला सीखने पर प्रतिबन्ध
(ग) समान नागरिक अधिकरों से वंचितं
(घ) सवर्णों के स्पर्श से वंचित (यहॉ तक कि दलितों का सुबह मुह देखना, उनकी परछाई पड़ना द्विजों के लिए अशुभ कारक समझा जाता था)

व्यावहारिक तौर पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक निर्योग्यताएँ देश के सभीभागों में और सभी अस्पृश्य जातियों पर समान रूप से लागू नहीं थीं किन्तु कमोवेश सभी इलाकों में दलित जातियों के लोग निर्धन, शोषित, बहिष्कृत और उत्पीडित आवश्यक थें[6]

दलित उत्पीड़न के तरीकेः– यर्थात् तो यह है कि तथा कथित ऊँची जाति वाले दलित उत्पीड़न जैसे नीचे कर्मोसे अपना महत्व बनायें रखना चाहते है तथा इससे संबंधित कोई भी मौका चूकते नहीं हैं सामान्यतः निम्न प्रकार के उत्पीड़न करने के प्रयास किये जाते हैं[7]

1. मानवाधिकारों की वंचना
2. अलग–थलग बस्तियॉ
3. आर्थिक विपन्नता व बेकारी के शिकार
4. पुलिस प्रशासन की संवेदन हीनता
5. न्यायिक सेवाओं में न्यून भागीदारी

6. सरकारी सेवाओं में भारी बैकलॉग
7. दलितों की भूमि पर गैर–दलितों का जबरन कब्जा
8. दलित महिलाओं व बच्चों की स्थिति अत्यन्त दैयनीय
9. बलात्कार व हत्या की बढ़ती घटनाएँ
10. विद्यालयों में भेदभाव व बहिष्करण
11. बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी से पूर्णतः मुक्त नहीं
12. सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव व अपमान
13. सार्वजनिक तालाब, कुएँ, हैण्डपम्प व नलों पर नहाने व पानी भरने में भेदभाव
14. दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देनां

आधिकारिक सांख्यिकी – वर्ष 1990 से 2000 की दशकीय अवधि की आधिकारिक सांख्यिकी दर्शाती है किसम्पूर्ण देश में अनुसूचित जातियों द्वारा विविध अपराधों की कुल 285,871 घटनाएं पंजीकृत करवाई गई थीं, जिनमें में 14,030 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं 81,796 अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत थीं इसका यह अर्थ है कि 1990 केदशक में अनुसूचित जातियों द्वारा जातिगत भेदभाव एवं अत्याचारों की प्रति वर्ष औसत रूप से 28,587 घटनाएं पंजीकृत करवाई गई थीं 2001 में घटनाओं की संख्या उच्चतर(33,500) थीं अपराध एवं अत्याचारों के प्रकारों पर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि, औसतरूप से (1990–2000 के मध्य) 553 हत्या, 2,900 चोट, 919 बलात्कार, 184 अगवा करनेअपहरण, 47 डकैती, 127 लूट–पाट, 465 आगजनी, 1,403 जातिगत भेदभाव एवं 8,179 अत्याचार की घटनाएं अनुसूचित जातियों द्वारा 1990 के दशक के पंजीकृत करवाई गई थीं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 1990 के दशक में पंजीकृत घटनाओं का दशकीय औसत (1,403) 2001 में घटकर 633 हो गयां

साधारण तया यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत घटनाओं को घटती हुई संख्या अस्पृश्यता के व्यवहार में कमीद्यो तक हैं किन्तु इस प्रकार के निष्कर्ष का तर्क की कसौटी पर खरा उतरना कठिन है और कानून की अप्रभावित के प्रतिबिम्ब का अनुमान हैं इस प्रकार का मत अनुसूचित जातिएवं अनुसूचति जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के छठे प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय मानवाधिकारआयोग के साथ भी आनुरूप्य है, जिसने यह इंगित किया था कि अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों कीपहचान करने में राज्य सरकारों ने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई[8]

पूर्व अध्ययन की समीक्षा – जैन सनत कुमार,(1982)[9]–ने बड़ा तहसील में अपने लघु शोध हरिजनों पर अत्याचार के अध्ययन के दौरान पाया कि दलितो की स्थिति में अपेक्षित सुधार नही हो पाया हैं संवैधानिक सुधारों के उपरात और अधिक अत्याचार से पीड़ित हरिजनों की समाज मेंअत्यंत निम्न एवं दीनहीन स्थिति हैं सिंह बलवीर,(1987)[10]– ने हरिजनों का अपराधिक उत्पीडन नामक अपने लघु शोध अध्ययनमें पाया कि अपराधों से पीडित व्यक्ति प्रौढ वर्ग वाले रहे हैं वयस्क तथा प्रौढ़ जो कि परम्परागत व्यवस्था को नही मानना चाहते हैं वही अधिकतर उत्पीड़न का शिकार होते हैं इनकी अध्ययन में सबसे अधिक पीडित व्यक्तियों में चमार जाति के लोग रहे हैं

अध्ययन के उद्देष्य– दलितो के उत्पीड़न, शोषण एवं अत्याचार के कारणों का अध्ययन करनां

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध प्रपत्र अप्रकाशित शोध प्रबंध (पी. एच.डी.)दलितों पर अत्याचाररू प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण (मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिला के विशेष संदर्भ में) मे अध्ययन पर आधारित हैं अध्ययन विधि के रूप में शोध छात्र द्वारा वर्णात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग कर सूचनादाताओं का चुनाव गैर संभावित निदर्शन पद्वाति (उद्देश्यपूर्ण विधि) के आधार पर पंजीयन 620 पीडितों मेंसे 40.32 प्रतिशत (250) पीडितो का चुनाव किया गया हैं अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही तरह के तथ्यों का उपयोग किया गया हैं

सारणी क्र.1

क्या आपके साथ छुआ–छूत का व्यवहार किया जाता है?

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	103	41.2
2	नहीं	147	58.8
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र.1 में छुआ–छात का व्यवहार किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया हैं सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि 41.2 प्रतिशत स्चना दाताओं ने स्वीकार किया की उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता हैं वही 58.8 प्रतिशत सूचना दाताओं के साथ छुआ–छात का व्यवहार नही किया गया अध्ययन क्षेत्र में छुआ–छातके व्यवहारों के अनेक प्रकार देखने को मिले हैं वर्तमान में यह व्यवहार समाप्त नही हुआहैं परन्तु इसमें कमी अवश्य ही आयी हैं इसकी कठोरता भी कम होती दिखाई दे रही हैं

सारणी क्र.2

क्या आपको सार्वजनिक स्थल पर अपमानित किया जाता हैं?

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	85	34.00
2	नहीं	165	66.00
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र. 2 सार्वजनिक स्थलों पर अपमानित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया हैं अध्ययन में 34.00 प्रतिशत स्चना दाताओं ने सार्वजनिक स्थलों को अपमानित किये जाने की पीड़ा को सहा हैं जबकि 66.00 प्रतिशत को सार्वजनिक स्थलों पर अपमानित नहीं किया गयां

ISSN:2395-1079

Available online at http://www.sajms.edwin.co.in

South Asia Journal of Multidisciplinary Studies SAJMS December 2018, Vol.4,No.11

सारणी क्र.3

क्या आपको उच्च जातियों की तरह वेश–भूषा एवं आचरण के कारण अपमानित किया जाता है?

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	51	20.40
2	नहीं	199	79.6
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र. 3 उच्चजातियों की तरह वेश–भूषा एवं आचरण किये जाने केकारण अपमानित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है पीडितों में 20.4 प्रतिशत ने स्वीकारा की उनके द्वारा उच्च जातियों की तरह वेश–भूषा एवं आचरण किये जाने के कारण उन्हें अपमानित किया गया जबकि 79.6 प्रतिशत पीडितों को ऐसी समस्या का सामना नही करना पड़ा

सारणी क्र.4

क्या परम्परागत कार्यों को न करने के कारण आप पर अत्याचार किया जाता हैं?

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	19	7.6
2	नहीं	231	79.6
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र.4 में परम्परागत कार्यों को न करने के कारण अत्याचार/अपमानित किये जाने की स्थिति के संदर्भ में 7.6 प्रतिशत पीडित सूचना दाताओं ने स्वीकार किया कि उनके व उनके सम्बधियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया जबकि 92.4 प्रतिशत पीडितों व उनके सम्बधियों को इस तरह व्यवहार का सामना नहीकरना पड़ां

सारणी क्र. 5

क्या उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा उच्च जाति अभिमान के कारण अत्याचार किया जाता है?

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	57	7.6
2	नहीं	193	79.6
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र.5 में उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा उच्च जाति अभिमान के कारण अत्याचार किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया हैं अध्ययन में 22.8 प्रतिशत पीड़ित ने स्वीकारा की उच्चजाति के व्यक्तियों द्वारा जातिगत उच्चता के अभिमान के किसी कारण दलित जातियों को अपमानित व उन पर अत्याचार बिना किसी भय के किया जाता हैं जबकि 77.2 प्रतिशत पीडितों के अनुसार उनके साथ ऐसा व्यवहार नही किया गयां

सारणी क्र.6

क्या निम्न जातियों के बारातियों के साथ गाली–गलौच या अपमानित किया जाता है?

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	40	16.00
2	नहीं	210	84.0
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र.6 दलित जातियों के बारातियों के साथ गाली–गलौच एवं अपमनित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया हैं अध्ययन में 16.00 प्रतिशत पीडितों ने अपने परिवार व सम्बंधियों के विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले अपमान जनक व्यवहार को व्यक्त किया जबकि 84.00प्रतिशत पीडितों व उनके सम्बधियों के साथ ऐसा व्यवहार नही हुआं

सारणी क्र.7
क्या चाय–पान की दुकान में अस्पृश्यता का व्यवहार होता हैं?

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	86	34.4
2	नहीं	164	64.6
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र. 7 में चाय–पानी की दुकान में अस्पृश्यता के व्यवहार की स्थिति को दर्शाया गया हैं जिसमें 34.4 प्रतिशत पीडितों ने चाय–पान की दुकान मे अस्पृश्यता को व्यवहार किये जाने की स्थिति को दर्शाया हैं जबकि 65.6 प्रातिशत पीडितों को इस समस्या का सामना नही करना पड़ां

सारणी क्र.8
निवास स्थान छोड़ने हेतु मजबूर किये जाने की स्थिति

	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
	हाँ	27	10.8
	नहीं	223	89.2
	कुल योग	250	100.00

उपर्युक्त सारणी क्र.8 में निवास स्थान छोडने हेतु मजबूर किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया हैं अध्ययन में 10.8 प्रतिशत पीडित सूचना दाताओं व उनके सम्बधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसके कारण उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ां जबकि 89.2 प्रतिशत पीड़ितों व उनके संबंधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया गयां

तथ्यों का विश्लेषणः– अध्ययन क्षेत्र मे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता का व्यवहार अभी पूर्णतः समाप्त नही हुआ हैं अपितु सामान्य रूप से यह प्रचलन में देखा जा रहा हैं

- सार्वजनिक स्थलों एवं चाय–पान आदि की दुकानों में दलितो के साथ द्वयम स्तर के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता हैं जिसके कारण तनाव एवं झगडे की स्थिति पनपती हैं
- दलितों की दैनिक दशा, पिछड़ापन,अशिक्षा एवं निर्धनता ऐसे कारक है जो दालतों के शोषण एवं अत्याचार में सहायक होते हैं जिसके कारण शोषण करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो को प्रोत्साहन मिलता हैं

निष्कर्षः– दलित जातियों के प्रति होने वाले शोषण एव अत्याचार का इतिहास पुराना हैं जो कि राजनीतिक की अपेक्षा सामाजिक हैं यह व्यवहार अस्पृश्यता में परिणित परम्परागत होने के कारण सामान्य व्यवहार में प्रचलित हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955) के बनने के उपरांत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बन जाने के बावजूद भी समाज में दलितों केप्रति होने वाली अस्पृश्यता, शोषण एवं अत्याचार का व्यवहार समाप्त नहीं हो सका है अध्ययन क्षेत्र में अस्पृश्यता के सभी प्रतिमानों का पालन होता देखा गया मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा व्यवहार नगरों की तुलना में अधिक हैं पीड़ित दलितों के निर्धन होने,अशिक्षित होने, ऋणग्रस्तता तथा सामाजिक रूप से निम्न होने के कारण अत्याचारी वर्गद्वारा इसका फायदा उठाया जाता हैं क्योंकि पीड़ितों के द्वारा बहुत ही कम नगण्य अनुपात में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती हैं जिसके अनेक कारण हैं भय की स्थिति, न्यायालय आने जाने का व्यय, सामाजिक अपमान एवं सुरक्षा का भय इन्हें प्रशासनिक वन्यायालयीन प्रक्रिया से दूर करता है जिसका फायदा अपराधी व्यक्ति उठाता हैं

सुझावः– वर्तमान समय में दलित जातियों के व्यक्तियों को संगठित होकर अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार को भय वश शांतिपूर्ण सहने के स्थान पर उसका प्रतिकार करना चाहिए एवं अपने बच्चों की शिक्षा पर अत्याधिक जोर देकर परिवार में नशा (शराब) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर, अच्छा व्यवहार कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहिए ताकि लोग आपकी दयनीय स्थिति का अनुचित लाभ न उठा सकें

संदर्भ–ग्रंथ सूची

1. नावल, टी.आर. (2000) 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति' (अत्याचार निवारण) काननूपृ. 4–7
2. कृष्णन पी.एस, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989को लागू करने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 22–23 मार्च 2000 का राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया भाषण
3. नावल टी.आर.,(2000) वही, पृष्ठ 4
4. रावत हरिकृष्ण, (2008), 'उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ 102
5. सिंह रामगोपाल, (1998) 'भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान', मध्यप्रदेश हिन्दीग्रन्थ अकादमी, बनगंगा, भोपाल (म.प्र.), पृ. 129–131
6. सिंह रामगोपाल, (1998) वहीं पृ. 132
7. खंडेला मानचंद (2008), 'दलित अधिकार एवं व्यवहार', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर पृ. 31
8 सुखदेव थोरात (2011) भारत में दलितः सामान्य लक्ष्य की खोज, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एण्ड दिल्ली पृ. 191–198
9 जैन, सनत कुमार, (1982), 'हरिजनों पर अत्याचार', अप्रकाशित एम.फिल. शोध प्रबंधन, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
10 सिंह बलबीर, (1987) 'हरिजनों का अपराधिक उत्पीड़न', अप्रकाशित एम.फिल. शोध प्रबंध, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
11 चौधरी जितेन्द्र कुमार (2015) 'दलितों पर अत्याचारः प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्रीय विष्लेशण' (मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिला के संदर्भ में),अप्रकाषित, पी.एच.डी. षोध प्रबंध, रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)